राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त,जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/पेयजल/18–19/38767-71 दिनांक :15/10/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर।

विषय : पेयजल संवर्धन योजना कविता सम्बन्धित कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 11031–56 दिनांक 28.02.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे कार्यकारी एजेन्सी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त तकमीना व तकनीकी स्वीकृति एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या–2 मे वर्णित स्थान पर पेयजल योजना निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कॉलम संख्या–8 मे अंकित राशि रू. 60.08 लाख की निम्नानुसार जारी की जाती है–

(राशि लाख रू)

क्र.स.	पेयजल का नाम व स्थान	ग्रा.प.	प.स.	प्रशा. स्वीकृति अनुसार राशि	तकनीकी स्वीकृति	
					क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	7	8
1	पेयजल संवर्धन योजना कविता	कविता	बड़गांव	35.00	SE/Udr/25/ 13.03.2019	60.08

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–18/2018–19 द्वारा पम्प एवं टेंक पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी खाते में उपलब्ध है। कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जावेगा।

शर्तेः–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी मद/योजना अथवा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभागीय बजट में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो सूचित किया जावें। दोहरा व्यय की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
2. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्त नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जावें।
4. नलकूप खोदने संबंधी कार्य भू–जल वैज्ञानिक की जल उपलब्धता की रिपोर्ट अनुसार किया जावे।
5. **सफल जल स्त्रोत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात् ही** अग्रिम कार्य/व्यय **कराया जावे।** ट्यूबवेल वेधन/जल स्त्रोत के असफल होने पर अन्य किसी भी प्रकार का अग्रिम कार्य/व्यय नही किया जावे।
   राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे निविदा पश्चात जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।

कृ.पू.उ.

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि निर्माण पश्चात योजना का संचालन एवं संधारण व्यवस्था कार्यकारी एजेन्सी द्वारा की जायेगी।
7. **पेयजल का वितरण पानी का वितरण अनुसूचित जनजाति (एसटी) बस्तियों मे किया जाना सुनिश्चित करे।**
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे। प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
9. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई बचत रहती है हो तो कार्य के उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः जनजाति विभाग को लौटाई जावे।

भवदीय

(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/पेयजल/18–19/ 38767–77 दिनांक : 15/10/19

प्रतिलिपी :–

1. विशिष्ठ सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत उदयपुर।
6. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण खण्ड उदयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–18/2018–19 द्वारा पम्प एवं टेंक पेयजल योजना हेतु प्राप्त राशि रू. 660.00 लाख में से परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को राशि रू. 60.08 लाख हस्तांतरित करावे।
8. निदेशक मॉनेटरिंग कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)